| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| २६/१/१७ | पत्रावली पेश हुई। | |

वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0।
उभय पक्ष को सुना।
वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा भगवानोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बला तह0 शिव मे खसरा नम्बर 257 रकबा 42.06 बीघा व मौजा निम्बला पटवार क्षेत्र निम्बला तह0 शिव मे खसरा नम्बर 526/161, 555/182, 557/182, 628/288 कुल रकबा 50.15 बीघा की आयी हुई है। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता जेठाराम के पैतृक खातेदारी की थी तथा वादी के पिता जेठाराम के फौत होने पर जेठाराम के विधिक उतराधिकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से फौतगी नामान्तकरण पारित कर राजस्व रेकर्ड मे जेठाराम के स्थान पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। वादी के पिता जेठाराम के फौत होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पारित फौतगी नामान्तरकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम सही अंकित कर दिया परन्तु वादी का नाम वास्तविक नाम अंकित न कर गलत नाम चौथाराम अंकित कर दिया जबकि जेठाराम के कोई जांयदा पुत्रों मे से किसी का भी नाम चौथाराम नहीं था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश बिना विधिक जांच किये अपने यादास्त के आधार पर वादी का गलत नाम चौथाराम अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम चन्दन जेठाराम जांगिड है। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे वादी का अशुद्व नाम चौथाराम दर्ज कर दिया गया है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की ओर से वकील श्री ईश्वरसिंह भाटी ने वकालतनामा व ईकबालिया जवाबदावा पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया तथा हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट में हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी चन्दन जेठाराम जागिड़ पुत्र जेठाराम, जाति–जागिड़, नि0 निम्बला के नाम के व्यक्ति की मौका जांच हेतु मौके पर पहुँच ग्रामिणों से रूबरू होकर पूछताछ की गई। ग्रामीणों ने बताया कि इनको चन्दन जेठाराम जागिड़ व चौथाराम नाम से बुलाया जाता है। वर्तमान में इनके कागजात आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम चन्दन जेठाराम जागिड व भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र मे चौथाराम पुत्र जेठाराम अंकित है। राजस्थान राज पत्र में अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र अंक 42 दिनांक 24.01.2011 भाग – 7 के पृष्ठ संख्या 2829 पर प्रकाशित शपथ पत्र मे प्रार्थी चौथाराम ने अपना नाम चन्दन जेठाराम करवा लिया है। वादी ने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जो शामिल मिसल किया गया।

हमने वाद पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब तथा हल्का पटवारी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम चन्दन जेठाराम जागिड़ होने की ताईद होती है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड के अन्य प्रविष्टियो को यथावत रखते हुए दर्ज प्रविष्टि "चौथाराम" के स्थान पर "चन्दन जेठाराम जांगिड़" किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा भगवानोणियों ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बला तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 257 रकबा 42.08 बीघा व मौजा निम्बला पटवार क्षेत्र निम्बला तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 536/161, 555/182, 557/182, 628/288 कुल रकबा 50.15 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम चौथाराम के स्थान पर "चन्दन जेठाराम जांगिड़" घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला–बाड़मेर

Scanned by CamScanner

# अन्तिम डिक्री व  मुकदमें इब्तदाई
**(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)**
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| चन्दन जेठाराम जांगिड़ पुत्र जेठाराम, जाति– जांगिड़, नि0 निम्बला तह0 शिव | | 1. गणपतलाल पुत्र जेठाराम<br>2. चंदादेवी पत्नी जेठाराम<br>3. भरत कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार<br>4. कैलाश कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार<br>5. पुखराज पुत्र नरेन्द्र कुमार<br>6. आसूदेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति– सुथार नि0 निम्बला तह0 शिव<br>7. तहसीलदार साहब शिव |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :– 1. श्री जेठाराम कुमावत एडवोकेट– वादी।
2. श्री ईश्वरसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की और से।

वाद संख्या - 87/19

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादी को आज दिनांक 28.08.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार  किया जाकर मौज भगवानोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र निम्बला तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 257 रकबा 42.06 बीघा व मौजा निम्बला पटवार क्षेत्र निम्बला तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 536/161, 555/182, 557/182, 628/288 कुल रकबा 50.15 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम "चौथाराम" के स्थान पर "चन्दन जेठाराम जांगिड़" घोषित किया जाता तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 26.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रताप सिंह)
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) शिव**

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 11:58:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: